15.5.24 वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय अधिकार पत्र पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र मे बताया कि प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। जिससे वादिया हस्तगत वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहती है। अतः वाद पत्र को इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। वादिया प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। वादिया के द्वारा हस्तगत वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहने से वादिया का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अमृत कंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.12 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested